एक नजर में

राज्य स्तर पर गुना के नवाचारों की हुई सराहना

गुना। म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गुना जिले की स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने राजधानी भोपाल में आयोजित 'राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम' में जिले का गौरव बढ़ाया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे के कुशल मार्गदर्शन में जिले की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को शासन स्तर पर भरपूर सराहना मिली। जिला प्रशासन द्वारा गुना में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नवाचार और पहल की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान गुना जिले के समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की गुणवत्ता, उनकी ब्रांडिंग और प्रभावी विपणन रणनीतियों को मिसाल के तौर पर देखा गया।

पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर संपन्न

गुना। जिला अस्पताल गुना परिसर में 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के अंतर्गत नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श प्रदान करना था। शिविर के दौरान कुल 50 गर्भवती महिलाओं का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 12 महिलाओं को 'उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था' के रूप में चिन्हित किया गया। इन महिलाओं को विशेष देखभाल और नियमित फॉलोअप की सलाह दी गई है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जागरूक किया।

सुपर क्लर्क का विभाग को करारा जवाब, पीडब्ल्यूडी विभाग में कुर्की

सिस्टम की अकड़ ढीली करने सड़क पर पटकीं दफ्तर की कुर्सियां और साहब की कार!

कुर्सी भी गई, कार भी गई, रिटायर कर्मचारी के हक के आगे बेबस हुआ लोक निर्माण विभाग

नवभारत न्यूज

गुना 25 फर. का। कहते हैं कि सरकारी महकमों में फाइलों का वजन इतना होता है कि आम आदमी की चीख उनके नीचे दबकर रह जाती है, लेकिन गुना के लोक निर्माण विभाग के साथ बुधवार को जो हुआ, उसने इतिहास के पन्नों में एक मिसाल कायम कर दी है।

यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी है, जहाँ एक अदना सा कर्मचारी 'सिस्टम' को घुटनों पर ले आता है। जब 30 साल तक न्याय के लिए भटकने के बाद भी विभाग की नींद नहीं टूटी, तो अदालत का हथौड़ा ऐसा चला कि पीडब्ल्यूडी दफ्तर की ईंट से ईंट बज गई। नजारा ऐसा था कि देखते ही देखते दफ्तर का सारा सामान सड़क पर आ गया और 'साहब' पैदल हो गए। इस पूरी कानूनी दास्तान के नायक हैं कौशल किशोर राठौर, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात थे। विवाद की जड़ तब शुरू हुई जब 1995 में उन्होंने महसूस किया कि विभाग उन्हें उनके पद और काम के अनुरूप उचित वेतन नहीं दे रहा है। एक आम कर्मचारी शायद इसे अपनी किस्मत मानकर समझौता कर लेता, लेकिन राठौर ने 'हक' की लड़ाई चुनी। यह लड़ाई कोई छोटी-मोटी जंग नहीं थी। निचली अदालत से शुरू हुआ यह सिलसिला हाई कोर्ट की दहलीज पार करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा। 1995 से लेकर 2026 तक, यानी पूरे 31 साल राठौर ने इस केस को जिंदा रखा। इस बीच कई सरकारें बदलीं, कई बड़े अधिकारी आए और रिटायर होकर चले गए, लेकिन राठौर की फाइल नहीं रुकी। आखिरकार जीत राठौर की हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने 2013 तक के एरियर का भुगतान तो कर दिया, लेकिन अपनी पुरानी आदत से मजबूर महकमे ने 2014 से लेकर 30 दिसंबर 2025 (राठौर की रिटायरमेंट तिथि) तक का लगभग 40 लाख का बकाया फिर से लटका दिया।

जब 'इजरा' बना विभाग का काल

रिटायरमेंट के बाद भी जब अधिकारियों ने राठौर को दफ्तर के चक्कर लगवाना बंद नहीं किया, तो उन्होंने साल 2018 में कोर्ट में 'इजरा' दाखिल कर दी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहाँ न्यायाधीशों ने विभाग की इस टालमटोल वाली नीति पर सख्त नाराजगी जताई और 6 महीने के भीतर वसूली के आदेश दे दिए। जब विभाग ने फिर भी ढिठाई दिखाई, तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) मधुलिका मुले की अदालत ने वह आदेश जारी किया जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया— 'कुर्की का वारंट'।

खाली दफ्तर और एक बड़ी चेतावनी

दफ्तर का नजारा किसी लूटे हुए खंडहर जैसा लग रहा था। जहां फाइलें जमी रहती थीं, वहां अब सिर्फ धूल के निशान थे। जिला नाजिर ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई 36.68 लाख रुपये की वसूली के लिए है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि इन तमाम कुर्सियों, मेजों, कंप्यूटरों और कार को बेचकर पैसा पूरा नहीं हुआ, तो अगला नंबर ढहऊ की बिल्डिंग और जमीन का होगा। यानी, अगर विभाग ने अब भी पैसा नहीं दिया, तो बहुत जल्द दफ्तर की जमीन की नीलामी के बोर्ड लग जाएंगे।

कुछ ऐसा हुआ ...जब पीडब्ल्यूडी दफ्तर में मच गया 'गदर'

बुधवार दोपहर की धूप खिली हुई थी, पीडब्ल्यूडी दफ्तर में हमेशा की तरह काम चल रहा था। तभी अचानक जिला नाजिर राकेश शर्मा के नेतृत्व में कोर्ट की एक विशेष टीम वहां दाखिल हुई। अधिकारियों को लगा कि शायद कोई रूटीन जांच है, लेकिन जब टीम ने कुर्की का वारंट निकाला, तो सबके चेहरे फक पड़ गए। कोर्ट की टीम ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू कर दी। देखते ही देखते कंप्यूटर और प्रिंटर जिन पर बैठकर विभाग भुगतान रोकने के बहाने बनाता था, उन्हें जब्त कर लिया गया। बड़े-बड़े फैसलों वाली आलीशान कुर्सियां अब कोर्ट की टीम के कब्जे में थीं। हद तो तब हो गई जब टीम ने छत पर चल रहे पंखों को भी उतरवा लिया। दफ्तर में बैठे कर्मचारी गर्मी और पसीने में नहाने लगे, लेकिन कानून का हाथ नहीं रुका। जो साहब कल तक गाड़ी में सायरन बजाकर निकलते थे, आज उनकी गाड़ी कोर्ट के कब्जे में थी।

सिस्टम के लिए एक सबक: कौशल किशोर राठौर की यह जीत उन हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है जो रिटायरमेंट के बाद अपने ही हक के लिए दफ्तरों की खाक छानते हैं। 1995 में शुरू हुआ एक छोटा सा विरोध, 2026 में एक 'तूफान' बनकर लौटा और विभाग के अहंकार को उड़ा ले गया। आज पूरे गुना में यह चर्चा का विषय है कि एक क्लर्क ने न केवल अपना हक पाया, बल्कि पीडब्ल्यूडी जैसे भारी-भरकम विभाग को यह भी याद दिला दिया कि कानून की 'जेसीबी' जब चलती है, तो बड़े-बड़े दफ्तर खाली हो जाते हैं। फिलहाल, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में सन्नाटा है। बैठने को कुर्सी नहीं है और काम करने को कंप्यूटर नहीं। यह सन्नाटा दरअसल उन अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो आम आदमी की फाइलों को 'अटकाना, लटकाना और भटकाना' अपना अधिकार समझते थे।

सकतपुर के सिर सजा बालाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का ताज

नवभारत न्यूज

मारकीमहू। ग्राम पंचायत मारकी महू के स्थानीय मैदान पर खेली जा रही बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांचक समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में सकतपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी जीत हासिल की। इस टूनार्मेंट में बमौरी विधानसभा क्षेत्र की कुल 38 टीमों ने अपनी चुनौती पेश की थी। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सकतपुर की टीम ने विस्फोटक खेल दिखाया। टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में पहाड़ जैसा 193 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हथियाबड़ की टीम इस भारी दबाव के आगे बिखर गई और 10 ओवरों में महज 84 रन ही बना सकी। सकतपुर के खिलाड़ी मनोज बरेला 'मैन ऑफ द मैच' रहे, जिन्होंने अपनी धारदार बल्लेबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को एकतरफा जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच पति सुनील राठौर उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य मोहन बरेला, कैलाश बरेला, जनपद सदस्य बलवंत सहरिया, पंचायत सचिव मोतीलाल नायक, पटवारी रामजी लाल बरेला, ध्यान सिंह बरेला और दुर्गेश सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।

नापतौल में धांधली पर प्रशासन का डंडा

गुना। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर नापतौल विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 व्यापारिक संस्थानों की औचक जांच की। इस अभियान के दौरान किराना, डेयरी, मिठाई, कबाड़ा और लोहा व्यापारियों सहित विभिन्न दुकानों के कांटों और माप उपकरणों को परखा गया। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत 5 संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रशासन ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरे जिले में यह जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा।

पशु आहार के 200 कट्टे डकारने वाला ड्राइवर और खरीदार गिरफ्तार

गुना। कोतवाली पुलिस ने एक व्यापारी के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और चोरी का माल खरीदने वाले खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से बेचे गए माल के 3 लाख रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त किया है। महावीरपुरा निवासी व्यापारी देवेंद्र साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने देवास की एक कंपनी से पशु आहार के 600 कट्टे मंगाए थे। इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट के ट्रक से यह माल गुना आया था। 16 फरवरी को ट्रक चालक ने 500 कट्टे गुना में उतारे, जिसके बाद व्यापारी ने शेष 100 कट्टे और ट्रक में पहले से मौजूद 100 कट्टे (कुल 200 कट्टे) बेरखेड़ी स्थित एक दुकान पर पहुंचाने के लिए भेजे थे। लेकिन चालक इन कट्टों को गंतव्य पर न पहुंचाकर कहीं और ले गया और बेच दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी प्रियंका मिश्रा के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने 22 फरवरी को ट्रक चालक देवेंद्र सिसोदिया (निवासी नजीराबाद, भोपाल) को धर दबोचा। उसने कबूला कि पशु आहार के 200 कट्टे ब्यावरा के 'संस्कृति ढाबा' संचालक राहुल सौंधिया को बेच दिए थे।

खूनी संघर्ष के बाद आरोन में शव सड़क पर रखकर चक्काजाम

पीड़ित परिवार ने की आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग

गुना। जिले के आरोन में सिरोंज बायपास पर बुधवार को उस समय भारी तनाव की स्थिति बन गई, जब एक पीड़ित परिवार ने शव सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। मामला एक दिन पहले मंगलवार को दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष का है, जिसमें एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के व्यक्ति को कार से कुचलकर मारने का गंभीर आरोप लगा है।

मृतक शिवभान सिंह सोलंकी के परिजनों का कहना है कि जब वे अपने बेटों के साथ गुना से घर लौट रहे थे, तभी विरोधियों ने जानबूझकर अपनी गाड़ी उनकी कार के आगे अड़ा दी और उन पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे शिवभान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और उनके दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर घंटों तक बायपास मार्ग को बंद रखा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि आरोपियों पर हत्या की के तहत मामला दर्ज किया जाए और उनके अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह पूरी वारदात जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से की गई है। इस दौरान मृतक की बेटी का एक भावुक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने रोते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उसके पिता को न्याय नहीं मिला, तो वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगी। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और तत्काल ठोस कार्रवाई पर अड़ा रहा। परिजनों ने साफ तौर पर आरोपियों के नाम उजागर करते हुए उन पर पुरानी रंजिश और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। काफी देर तक चले इस ड्रामे और हंगामे के कारण बायपास पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

7 नामी कंपनियों ने दिया रोजगार का मौका, 108 युवाओं को मिले ऑफर लैटर

गुना। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 'युवा संगम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत विश्राम गृह में आयोजित इस जिला स्तरीय मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने युवाओं का चयन किया और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की राशि का वितरित किए गए।

कार्यक्रम के नोडल व जिला रोजगार अधिकारी बी.एस. मीना ने बताया कि कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में आयोजित इस मेले में निजी क्षेत्र की 7 नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। शिविर में कुल 285 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया, जिनमें से साक्षात्कार के बाद 108 आकांक्षी युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। कलेक्टर कन्याल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की सोच अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। उन्होंने चयनित युवाओं को अपनी योग्यता और कौशल के अनुरूप निजी क्षेत्र में करियर की शुरूआत करने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा संगम के दौरान स्वरोजगार योजनाओं के 4,389 हितग्राहियों को कुल 21 करोड़ 23 लाख रुपये का हितलाभ ऑनलाइन वितरित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत अभिषेक धाकड़ को 7.50 लाख रुपए, विवेक धाकड़ को 7.50 लाख और सौरभ जैन को भी 4 लाख रुपए का ऋण दिया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर कन्याल ने जिले में स्वरोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि गुना में गुलाब और अमरूद की खेती का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। उन्होंने कहा कि कम भूमि में भी गुलाब उगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इसी दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए 28 फरवरी को मानस भवन, गुना में एक भव्य गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। वहीं शासन के आदेशानुसार नवाचार करते हुए युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

कलेक्टर ने उपस्थित सभी युवाओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई और उन्हें 'सीखो कमाओ योजना' व 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना' जैसी कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दी।

मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन, गुना में दुकानों पर छापेमारी

गुना। होली के आगामी त्योहार को देखते हुए गुना जिला प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश और अभिहित अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषिश्वर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया। टीम ने रूठियाई और गुना शहर के कई नामचीन होटलों, रेस्टोरेंट और मिष्ठान भंडारों पर औचक दबिश दी, जहाँ मिठाइयों और मावे की गुणवत्ता की बारीकी से जाँच की गई। त्योहारों के दौरान बाजार में खपने वाले मावे और मिठाइयों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने मौके से कई खाद्य सामग्रियों के नमूने भी लिए। कार्रवाई के दौरान टीम ने एबी रोड रूठियाई स्थित महाकाल रेस्टोरेंट से मावा बर्फी और नमकीन सेव के नमूने लिए, जबकि अग्रवाल मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू और मलाई बर्फी के सैंपल संग्रहित किए। टीम ने महावीर मिष्ठान भंडार पर भी दबिश दी और वहां से मावा व बूंदी के लड्डू के सैंपल जाँच हेतु लिए। इन सभी नमूनों को तुरंत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लेने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे केवल शुद्ध और ताजा खाद्य सामग्री ही ग्राहकों को बेचें। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर साफ-सफाई के मानकों का पालन करने और गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की इस सक्रियता से बाजार में मिलावट करने वाले कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

मानहानि का दावा — उपाध्यक्ष सहित 7 पार्षदों पर ठोका मानहानि का मुकदमा

मर्यादा तार-तार हुई तो न्यायालय की शरण में पहुंची नपा अध्यक्ष

नवभारत न्यूज

गुना। नगर पालिका की सियासत में बुधवार को बड़ा उबाल आ गया जब नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने अपनी ही परिषद के उपाध्यक्ष और सात पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए न्यायालय में मानहानि का दावा पेश कर दिया। अध्यक्ष का आरोप है कि इन पार्षदों ने न केवल मर्यादाओं की सीमा लांघी है, बल्कि वे लगातार झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के जरिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता ने कड़े शब्दों में कहा कि उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी और उनके साथी सात पार्षद विकास विरोधी और संगठन विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित परिषद होने के बावजूद ये पार्षद कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर शहर के विकास कार्यों में लगातार रोड़े अटका रहे हैं। अध्यक्ष के अनुसार, इन पार्षदों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक रोटियां सेंकना और झूठे आरोपों के सहारे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना रह गया है।

सविता गुप्ता ने भावुक और कड़े स्वर में बताया कि इन पार्षदों ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं को पूरी तरह तार-तार कर दिया था। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन भाजपा संगठन और वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप और इस वादे पर कि भविष्य में मर्यादित व्यवहार रहेगा, उन्होंने वह मुकदमा वापस ले लिया था।

परिवार और समाज में छवि धूमिल करने की साजिश

सविता गुप्ता ने कहा, जब किसी भी स्तर से पार्टी या वरिष्ठ नेतृत्व का संरक्षण नहीं मिला और मेरे परिवार को जबरन बदनाम करने की कोशिशें तेज हो गईं, तब मुझे मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पार्षदों को अनुशासनहीनता के लिए पार्टी द्वारा समय-समय पर नोटिस दिए गए, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई न होने के कारण ये लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं।

अध्यक्ष ने लगाए आरोप

अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि समझौते के बावजूद लगातार झूठी शिकायतें और मिथ्या आरोप लगाए गए। एक वायरल वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश हुई, जिसमें बयान देने वाले व्यक्ति ने खुद पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि यह वीडियो उपाध्यक्ष द्वारा फर्जी तरीके से बनवाया गया था। इसके बावजूद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना और संगठन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से इन पार्षदों के हौसले बुलंद हो गए।

न्याय प्रणाली पर भरोसा

अध्यक्ष ने विश्वास जताया है कि चूंकि पार्षदों ने सार्वजनिक मयार्दा को लांघकर उन पर कीचड़ उछाला है, इसलिए अब न्यायालय ही उन्हें इस अपमान से मुक्ति दिलाएगा और न्याय प्रदान करेगा। भाजपा शासित नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच का यह कानूनी और सियासी टकराव अब शहर में चर्चा का केंद्र बन गया है।

जयवर्धन सिंह ने जताई चिंता, कहा- 'बजट 5 नहीं 10 प्रतिशत होना चाहिए था'

गुना। राघौगढ़ विधायक और पूर्व नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में नगरीय विकास विभाग के लिए किए गए प्रावधानों पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने बजट आवंटन में शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी और बुनियादी जरूरतों की अनदेखी किए जाने पर चिंता जताई है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नगरीय विकास विभाग के लिए बजट में कुल राशि का मात्र 5 प्रतिशत आवंटन किया जाना नाकाफी है। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों के व्यवस्थित विकास और बढ़ती आबादी की सुविधाओं को देखते हुए इस विभाग का बजट कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए था। एक ओर जहाँ उन्होंने बजट आवंटन पर सरकार को घेरा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने वर्तमान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ भी की। जयवर्धन सिंह ने उनके अनुभव और कार्य करने की क्षमता को सकारात्मक बताया, लेकिन साथ ही यह भी रेखांकित किया कि बिना पर्याप्त बजट आवंटन के विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगी। पूर्व मंत्री ने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश के तेजी से विकसित होते शहरों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल निकासी और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता है।

उन्होंने मांग की है कि सरकार को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए नगरीय विकास के बजट में इजाफा करना चाहिए ताकि प्रदेश के नगरों को स्मार्ट और रहने योग्य बनाया जा सके।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी, जिला गुना

प्रकरण क्रमांक 0092/स-149/2025-26

(विज्ञप्ति)

आवेदकगण आशीष कुमार सेन पुत्र श्री पुरूषोत्तम सेन (आयु 40 वर्ष) निवासी वार्ड क. 22 महावीरपुरा गुना तहसील व जिला गुना म.प्र. एवं शोभा साहू (विधवा) पुत्री स्वश्री हेमराम साहू (आयु 38 वर्ष) निवासी बरबटपुरा पोरवाल कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना म.प्र. द्वारा आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा उचित शीर्ष में 100 रूपये का चालान आदि दस्तावेज पेश कर मय साक्षियों सहित विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा-5 के तहत आशयित विवाह कराये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है । यदि किसी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अथवा आपत्ति हो तो वह इस संबंध में दिनांक 10.03.2026 तक अपनी आपत्ति अपर कलेक्टर एवं विवाहं अधिकारी जिला गुना के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रात: 10:00 बजे से 06:00 बजे तक दर्ज करा सकते है। नियत दिवस व्यतीत होने पर किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

(अखिलेश कुमार जैन)
अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला गुना म.प्र.